अशक्त जनों की व्यथा

-लेखकः अरुण मायरा (पूर्व सदस्य, योजना आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

10 दिसम्बर, 2020

किसानों की चिंताओं को सरकार द्वारा खारिज करने से नीतियों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे उन्हें लागू करना कठिन हो जाता है।

भारतीय किसान अपनी उपज का बेहतर दाम चाहते हैं और इनका यह विचार कहीं से गलत भी नही है। एनडीए सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हाल ही में, इसने "समर्थक-बाजार" सुधारों को आगे बढ़ाया। उत्तरी राज्यों में किसान, जो भारत के सबसे अमीर किसान भी है, इन सुधारों के सख्त खिलाफ हैं। किसानों के अनुसार इस सुधार से किसानों को नुकसान ही होगा, मदद नहीं। सरकार का कहना है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस आलेख में हम जानेंगे कि आखिर सच है क्या?

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र की समस्या यह है कि बहुत सारे लोग कृषि में कार्यरत हैं। जहाँ एक तरफ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17 प्रतिशत है, वही दूसरी तरफ इसमें कार्यबल का 57 प्रतिशत कार्यरत है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका उद्देश्य भारतीय कृषि की उत्पादकता में सुधार करना और नियोजित संख्याओं को कम करना है।

कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के समान उत्पादक बनने के लिए, इसे केवल 17 प्रतिशत कर्मचारियों को रोजगार देना चाहिए - जिसका कुल आकार लगभग 500 मिलियन होने का अनुमान है। इसलिए, लगभग 200 मिलियन श्रमिकों को कृषि से दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना चाहिए। हालांकि, अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण, पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, वहाँ भी, मजदूरी और आय नाजुक हैं। विनिर्माण में भी, समस्या कम उत्पादकता की है। वे उत्पादकता में सुधार के लिए अधिक "उद्योग 4.0", अर्थात् अधिक प्रौद्योगिकी और स्वचालन का विकल्प अपना रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर फिर किस क्षेत्र में भारत के लोगों को अच्छी आय प्राप्त करने के लिए पलायन करना चाहिए?

कृषि उपज के लिए कम कीमतों और श्रमिकों के लिए कम मजदूरी की समस्याएं राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। व्यापार करने में प्रदान की गयी व्यवस्था अव्यवस्थित हैं, क्योंकि वे हमेशा अनियमित बाजारों में होते हैं और हमेशा छोटे व्यापारियों के मुकाबले बड़े के पक्ष में हमेशा रहती है। बड़े लोगों के पास अपने पक्ष में कीमतें प्राप्त करने के लिए "खुले बाजारों" में अधिक शक्ति होती है। छोटे के पास कोई पूंजी नहीं होती और उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिलता। उनके पास बस एक ही विकल्प बचता है कि या तो वे "इसे लें या छोड़ दें" और इस प्रकार उनकी मजदूरी और कीमतें कम हो जाती हैं, जो खरीदारों और नियोक्ताओं के लिए एक "अच्छा सौदा" साबित होता है।

कृषि सुधारों, जिसका उद्देश्य बाजारों को मुक्त बनाना है, के खिलाफ विरोध उत्तरी राज्यों के किसानों से सबसे अधिक आ रहा है क्योंकि वे ही इस व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। वे देश के अन्य हिस्सों में किसानों की तुलना में अधिक अमीर हैं जिन्हें सरकारी सहायता का लाभ अब तक नहीं मिला है। अब इन अमीर किसानों को सुधारों को रोकने वाले स्वार्थी लोगों के रूप में चित्रित किया जा रहा है और इन्हें गरीब किसानों का दुश्मन बताया जा रहा है।

यहाँ ध्यान दे कि गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य केवल कुछ फसलों पर लागू होता है और कुल कृषि उपज का 10 प्रतिशत से कम होता है। एपीएमसी मंडी का बुनियादी ढांचा बाजार में 17 प्रतिशत से कम कवर करता है यानि 7,000 से भी कम मंडियाँ, जबकि कुल मिलाकर आवश्यकता 42,000 हैं। तो, ये सुधार कैसे उनकी मदद करेगा?

श्रमिक संघ भी राजनीतिक जाल में फंस गए हैं। बड़े प्रतिष्ठानों में जहां यूनियन मजबूत हुई हैं, वहीं रोजगार की शर्तें सबसे सुरक्षित हैं और मजदूरी बढ़ी है, जब इन यूनियनों ने रोजगार की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई और भारत के 95 प्रतिशत मजदूरों को वेतन देने की बात कही जाती है, जो इन बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत नहीं हैं, तो उन्हें भारत के "खराब" श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में चित्रित किया जाता है और अन्य श्रमिकों को लाभ उठाने से रोकने का आरोप लगाया जाता है। निश्चित तौर पर श्रम सुधार आवश्यक हैं और प्रक्रियाओं को सरल किया जाना चाहिए।

भारत के विकास को अधिक से अधिक समावेशी बनाने के लिए नीति निर्माताओं को बाजारों में कम शक्तिशाली लोगों की बात सुननी चाहिए। इसलिए, ऐसे संस्थान जो किसानों, अनौपचारिक श्रमिकों और छोटे उद्यमों के छोटे लोगों – संघों और यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हैं – को मजबूत किया जाना चाहिए, उनका दमन नहीं। जब सुधारों को उनके हितों में माना जाता है, तो उनके पक्षों को भी सुनना चाहिए। उत्पादक और श्रमिकों की सहकारी समितियों का गठन करना चाहिए। सरकारी नियमों को मजबूत सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना चाहिए और व्यवसाय करने में उनकी आसानी में सुधार करना चाहिए।

किसान आंदोलन

चर्चा में क्यों?

- केन्द्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं।
- उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है।
- विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं, खासकर पंजाब-हरियाणा के किसान।
- विदित हो कि देश के करीब 500 अलग-अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है।

क्या हैं वे तीन कृषि कानून?

- **किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020:** इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है।
- सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिये अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे।
- लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) के स्वामित्व वाले अनाज बाजार (मंडियों) को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है।
- इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं।
- किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे-धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा।
- **किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक:** इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है।
- आप की जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराये पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा।
- किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी।
- **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक:** यह कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है।
- अर्थात इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है।
- इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी।
- किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है।
- इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश की छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है?

किसानों की अहम मांगें

- आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं।
- तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होर्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा।
- एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा।
- किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली (संशोधित) बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है।
- प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी।
- प्रदूषण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के एक अध्यादेश पर भी चिंताएं व्यक्त की गयी है।
- इसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- प्रदर्शनकारी यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने का चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 के तहत कृषि उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा।
2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अन्य सुधारों के साथ अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:

1. No Cess or levy will be levied on the sale of agricultural product under the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020.
2. Cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes, etc. have been excluded from the list of essential commodities along with other reforms under the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 **(b)** Only 2
(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सुधार किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Q. Do the reforms proposed by the government for the agricultural sector under the Aatmanirbhar Bharat ensure better price realization for farmers? Explain.

(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।